East Central Railway
Medical Department Sonpur
"NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST(EOI)"

No. H/245/2/Empanelment Hospital/Sonpur

Dated07.01.2026

Application in sealed enveloped is invited from all willing CGHS/ECHS/ESI empanelled and Non CGHS/ECHS/ESI Empanelled private Hospitals in terms of Railway Board Guidelines for treatment for railway beneficiaries of East Central Railway, Sonpur for two years for cashless service on CGHS prescribed rates.

Terms and condition for Empanelment of private Hospitals:-
Private Hospitals should submit willingness letter as per following:-

1. Hospitals should be located in the cities Nearby GHZ, e.g.Begusarai and Khagaria.
2. Guideline of Railway Board letter No.2016/H-1/11/69 Hospital Recognition, dated-23.12.2016 is annexed (website only).
3. Guideline of Railway Board letter No2014/H-1/19/3/PNM, dated-05.10.2015 (website only).
4. CGHS/ECHS/ESI empanelment certificate must be annexed with willingness letter, if private hospital is empanelled with CGHS/ECHS/ESI.
5. Hospital details as registration certificate, PAN Number, Doctors list, Hospital rate, equipment, Numbers of bed, other hospital details and other facilities.
6. Willingness for preferential treatment of Railway beneficiaries over patients.
7. Full time specialist doctors availability in hospital i.e. 24 hours, specialties facilities should be available in the field of General Medicines, Ophthalmology, cardiology, orthopedics, General Surgery/Laparoscopic Surgery, plastic Surgery, Neurosurgery, Nephrology, Gastroenterology, pediatrics, ENT Surgery, obstetrics & Gynecology, Urology, Dental Surgery, Dermatology and Venereology, Emergency Trauma Services & etc.
8. Modern facilities like ICU, PICU, NICU, NICU, CCU, Operation Theatre, pathological Lab, Radiological department including CT facility must be available 24 hours.
9. Guidelines of Railway Board and time to time changes therein should be accepted.
10. The rate to be charged by CGHS empanelled hospitals should be as per the CGHS prescribed rate based on the classification of the hospitals or the Hospital tariff, whichever is lower and for those items/procedures/investigations which are not covered under CGHS rate list, the hospital should offer some discounts for the same on their hospital rate and also free ambulance service to the Railway.

    The private Hospitals fulfilling the above criteria should apply to the Chief Medical Superintendent, East Central Railway, Sonpur, Post-Sonpur, Distt-Saran (Bihar), Pin-841101 with full description of the Hospital as asked above for the purpose of short listing and empanelment of the private Hospital by Divisional Railway Hospital, Sonpur within 21 days from the date of this advertisement.

Website particular for detailed information-http://www.ecr.indianrailways.gov.in.

Madhu Mala. 07/01/26

(Dr.Madhu Mala)
Divisional Medical officer
East Central Railway, Sonpur

पूर्व मध्य रेल
चिकित्सा विभाग, सोनपुर

"NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI)"

संख्या–एच/245/2/सूचीबद्ध चिकित्सालय, सोनपुर दिनांक–07.01.2026

पूर्व मध्य रेल/सोनपुर के रेल कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए रेलवे बोर्ड के निदेशानुसार सभी इच्छुक सी.जी.एच.एस/ई.सी.एच.एस/ई.एस.आई. सूचीबद्ध एवं गैर–सूचीबद्ध सी.जी.एच.एस/ई.सी.एच.एस/ई.सी.एच.एस/ई.एस.आई. निजी चिकित्सालयों से सी.जी.एच.एस निर्धारित दर पर 02 (दो)वर्षो के लिए कैस लेस रहित सेवा द्वारा ईलाज के लिए सीलबन्द लिफाफे मे आवेदन आमत्रित किये जाते है ।

निजी चिकित्सालयों की नामित के लिए शर्ते एवं उपलबंध :–

निजी चिकित्सालयों को निम्नलिखित प्रकार से अपना स्वेच्छा पत्र देना चाहिए :–

1. चिकित्सालय गढहरा के आस पास के शहर में अवस्थित होना चाहिए (उदाहरणस्वरूप बेगूसराय, खगडिया)
2. रेलवे बोर्ड के पत्रांक–2016/H-1/11/69, चिकित्सालय संबद्धता, दिनांक–23.12.2026 का दिशा निर्देश संलग्न है । (केवल वेबसाईट)
3. रेलवे बोर्ड के पत्रांक–2014/H-1/19/3/पी.एन.एम, दिनांक–05.10.2015 का दिशा निर्देश संलग्न है । (केवल वेबसाईट)
4. यदि निजी चिकित्सालय, सी.जी.एच.एस/ई.सी.एच.एस.ई.एस.आई. द्वारा नामित चिकित्सालय, में है तो उसे स्वेच्छता पत्र के साथ सी.जी.एच.एस/ई.सी.एच.एस.ई.एस.आई. सूचीबद्धता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है ।
5. सूचीबद्धता प्रमाण पत्र पैन संख्या, चिकित्सको की सूची, चिकित्सा दर, उपस्करों, बेड़ो की संख्या एवं अस्पतालों का विस्तृत विवरण तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ ।
6. अन्य रोगियो की तुलना मे रेल कर्मचारियों के चिकित्सा में प्राथमिकता दिये जाने की स्वेच्छा ।
7. चिकित्सालयों मे पूर्णकालिक विशेषज्ञ चिकित्सको अर्थात जैसे जनरल मेडिसिन, ऑपथलमोलोजी, काडियोलाजी, आथोपेडिक्स, जनरल सर्जरी/लेपरास्कोपिक सर्जरी,न्यूरो सर्जरी, नेफोलोजी, गैस्ट्रोलोजी,पेडियाट्रिक्स, ई.एन.टी. सर्जरी, ऑब्सटेट्रिक्स एवं गाइनकोलॉजी, यूरोलोजी, डेन्टल सर्जरी, छरमेटोलॉजी एवं बेनेरोलोजी, इमरजेन्सी ट्रामा सर्विस आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञों द्वारा उपचार की सुविधा 24 घटे।
8. अत्याधुनिक सुविधा आई.सी.यू. पी.आई.सी.यू. एन.आई.सी.यू. सी.सी.यू. ऑपरेशन थियेटर, पैथोलोजिकल लैब, रेडियोलोजिकल विभाग सी.टी. एम.आर आई की सुविधा के साथ 24 घेटे उपलब्ध रहनी चाहिए ।
9. रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करना होगा ।
10. सी.जी.एच.एस के पैनलबद्ध सभी अस्पतालों द्वारा प्रभावित की जाने वाली दरें अस्पतालों के वर्गीकरण अथवा अस्पताल के टैरिफ, जो भी कम हो के आधार पर सी.जी.एच.एस. के निर्धारित दरों के अनुसार होनी चाहिए और उन मदों/प्रक्रियाओं/जॉचों जो सी.जी.एच.एस. दर सूची के अंतर्गत नही आते है, के मामले में इच्छुक अस्पतालों को अपने अस्पताल की दरों पर कुछ रियायत और साथ ही रेलों को निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध कराना भी शामिल होगा ।

उपरोक्त पात्रता एवं मानदंड को पुरा करने वाले निजी चिकित्सालय की संक्षिप्त सूची एवं निजी अस्पतालों की नामित तैयार करने के लिए उक्त प्रकार के अपने विस्तृत विवरण के साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,पूर्व मध्य रेल,सोनपुर, पोस्ट–सोनपुर, जिला–सारण, बिहार पिन–841101 के पते पर इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर आवेदन भेज देना चाहिए ।

विस्तृत विवरण के लिए वेबसाईट विवरण निम्नलिखित है–http://www.ecr.indianrailways.gov.in

मधु माला 07/01/26

(डा0 मधु माला)
मंडल चिकित्सा अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/सोनपुर
कृते मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
पूर्व मध्य रेल/सोनपुर